



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 13 फरवरी, 2019 / 24 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd January, 2019

No. STE-A(3)-2/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and read with Section 4 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to formulate the following guidelines in supersession of rules

notified vide GoHP Notification of even number dated 28-12-2017 regulating the nomination/appointment, other terms and conditions of service of the Chairman in the State Pollution Control board.

The terms and conditions of service of the Chairman shall be as under:—

1. **Pay, allowances and other conditions of service.**—The scale of pay shall be Level-14 in the Pay Matrix of the 7th Pay Commission. In case of nomination amongst a serving officer under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body taken on secondment or deputation, shall receive the pay equal to the actual pay drawn in his/her parent department. In case of nomination of retired officer under the Central Government or a State Government or a Public Sector Undertaking or a University or an autonomous body, shall receive the pay per month equal to the actual pay drawn in his/her parent department minus pension (fixed). The Chairman shall be entitled to City Compensatory Allowance and House Rent Allowance as are admissible to the Secretary to the GoHP. Provided that where the Chairman is allotted an accommodation by the State Government, he shall not be entitled to house rent allowance and shall be required to pay a license fee as applicable to the Secretary to the GoHP. The travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as Chairman, shall be at the rates as permissible to the Secretary to the GoHP. The medical facilities as are admissible to the Secretary to the GoHP.
2. **Age Limit.**—The Maximum age limit for nomination/ appointment shall be not exceeding Sixty two years as on the last date of the receipt of application.
3. **Tenure of the Post.**—The Chairman will hold the post for the period of three years or till he/she attains the age of 65 years, whichever is earlier. The person once nominated as Chairman can be re-nominated/ appointed only for one additional term.
4. **Qualification and Experience.**—A person having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to the environmental protection or a person having knowledge and experience in administering institution dealing with the matter aforesaid.
5. **Disqualification.**—A person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or a person who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall not be eligible. Also a person who has been convicted by any court of law for committing an offence punishable for more than 2 years of imprisonment shall not be eligible for appointment to the said post.
6. **Mode of Recruitment.**—The Chairman shall be appointed by the State Government on the recommendation of Search-cum-Selection Committee consisting of the following namely:—

(a) Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh	..	<i>Chairman</i>
(b) Secretary Incharge, Department of Env., Sci. & Tech.	..	<i>Member</i>
(c) Secretary Incharge, Department of Personnel	..	<i>Member</i>

The Committee shall decide the procedure to be followed for making the appointment. The Secretary (Environment) to the Government of Himachal Pradesh will be *ex-officio* Chairman of the State Pollution Control Board, till a person is selected for nomination/appointment as Chairman of the State Pollution Control Board, or the post falls vacant due to any other reason.

7. **Relaxation.**—The State Government shall issue necessary clarification and may also relax the guidelines in case of operational difficulties.

By order,

R. D. DHIMAN,
Addl. Chief Secretary (EST).

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 16th January, 2019

No. 1-73/70-Fin (LA)part-340.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer Shri Lekh Raj Chauhan, Joint Controller (Class-I Gazetted) from State Vigilance and Anti Corruption Bureau, H.P. Khalini, Shimla-2 to Headquarter Office, Local Audit Department, H.P. Kasumpti, Shimla-9, in the public interest. He will join in the Headquarter Office of Local Audit Department after 31- 01-2019 on superannuation of Dr. Suneel Kumar Angra, Additional Director.

It is further ordered that he will also hold the additional charge of the post of Joint Controller (LAD) State Vigilance and Anti Corruption Bureau, H. P. Khalini, Shimla-2, till further orders.

Sd/-
(ABID HUSSAIN SADIQ),
Special Secretary (LAD).

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 16th January, 2019

No. 1-392/82-Fin (LA)Vol-5 (Part)-357.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under section 33 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, is pleased to constitute an expert Committee, consisting of following officers/officials for identification of 4% posts reserved for persons with benchmark disabilities, in the Local Audit Department, Himachal Pradesh, with immediate effect:—

1.	Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh	<i>Chairman</i>
----	---	-----------------

2.	Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh	<i>Member</i>
3.	Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & The Specially Abled, Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
4.	Shri Deewan Chand, Section Officer, Local Audit Department, Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
5.	Shri Vineet Kanoongo, Junior Auditor, Local Audit Department, Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
6.	Shri Ugar Sain, Senior Scale Stenographer, Economic & Statistics Department, Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
7.	Shri Devender Sharma, Junior Technical Assistant (Archives), Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
8.	Additional Director/ Joint Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh.	<i>Member-Secretary.</i>

Sd/-
(ABID HUSSAIN SADIQ),
Special Secretary (LAD).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st December, 2018

No. Shram (A) 7-5/2018-Misc.—In exercise of the powers conferred by Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 the Governor Himachal Pradesh is pleased to transfer of the proceedings of the following cases of Workers Union and Management of M/s Kamla Dial and Devices Ltd. from Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court Shimla to Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court Dharamshala under section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 are as under :—

1. Ref. No. 96/2009—titled as President/General Secretary, Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited.
2. Ref. No. 10/2011—titled as Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited.
3. Ref. No. 28/2011—titled as Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited.
4. Ref. No. 121/2010—titled as Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited
5. Ref. No. 08/2015—titled as Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited
6. Ref. No. 02/2015—titled as Kamla Dial Karamchari Group *V/s* KDDL Limited & Anr.

7. Appli. No. 46/2013—titled as Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited.
8. Ref. No. 40/2013—titled as Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited, Parwanoo.
9. Ref. No. 40/2015—titled as Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited
10. Ref. No. 114/2017—titled as Kamla Dial Workers Union *V/s* The Factory Manager, M/s KDDL Ltd. & Another.
11. Ref. No. 36/2016—titled Kamla Dial Workers Union *V/s* Kamla Dials and Devices Limited & Ors.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st February, 2019

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMJC-IV, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMJC-II, Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during leave period of Ms. Shikha Lakhanpal, Civil Judge-*cum*-JMJC-II, Hamirpur, H.P. *w.e.f.* 17-1-2019 to 15-7-2019 or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st February, 2019

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMJC-II, Amb, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Amb, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave

period of Sh. Dhuru Thakur, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Amb, H.P. w.e.f. 4-2-2019 to 16-2-2019 with permission to affix Sundays falling on 3-2-2019 and 17-2-2019, respectively or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th January, 2019

No. HHC/Admn.2 (133)2017.— Shri Virender Singh, Superintendent Grade-I (Chief Administrative Officer) of the office of District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan shall stand retired from service on and with effect from 31-1-2019 (afternoon) on his attaining the age of superannuation.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st February, 2019

No. HHC/Estt.3(507)/2000-I.— 12 days earned leave on and with effect from 25-02-2019 to 08-03-2019, with permission to prefix Sundays and 2nd batch special casual leave commencing from 04-02-2019 to 24-02-2019 & suffix Second Saturday and Sunday falling on 09-03-2019 and 10-03-2019 is hereby sanctioned, in favour of Shri Hemant Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hemant Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hemant Sharma would have continued to officiate the same post Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 2nd February, 2019*

No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—06 days earned leave *i.e.* on and with effect from 25-02-2019 to 02-03-2019, with permission to prefix Sundays and 2nd batch special casual leave commencing from 03-02-2019 to 24-02-2019 & suffix holidays on 03-03-2019 and 04-03-2019 is hereby sanctioned, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 03 MNT/19

दायर तिथि : 27-12-2018

तारीख पेशी : 28-02-2019

1. महेश्वर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी गांव छोटीकन्डी, डाकघर नियूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री वामन देव, निवासी गांव शाड़ाबाई, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 21-01-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत नियूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह

दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असातन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 06 MNT/19

दायर तिथि : 27-12-2018

तारीख पेशी : 28-02-2019

1. सवित्र सिंह पुत्र श्री भुटू राम, निवासी गांव रशोल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती ओमी देवी पुत्री श्री उच्छवे राम, निवासी गांव रशोल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 22-02-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असातन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

केस नं0 : 05 MNT/19

दायर तिथि : 08-01-2019

तारीख पेशी : 28-02-2019

1. वरुण सूद पुत्र श्री अनिल सूद, निवासी हाऊस नं0 99, वार्ड नं0 3, सैनिक चौक भुन्तर, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती राधा शर्मा पुत्री श्री देव राज गौतम, निवासी गांव कलौ, डाकघर पौराकोठी, तहसील नेरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 08-01-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 29-01-2007 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित नगर पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

केस नं0 : 04 MNT/19

दायर तिथि : 17-12-2018

तारीख पेशी : 28-02-2019

1. ओम दत्त पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव उच्चधार, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती चेतना देवी पुत्री श्री यान चन्द, निवासी गांव शांगड़धार, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 17-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-04-2015 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 07/DNT 2019

दायर तिथि : 15-06-2018

तारीख पेशी : 28-02-2019

श्री हरी राम पुत्र श्री भाग चन्द, गांव ठौंजा, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी राम पुत्र श्री भाग चन्द, गांव ठौंजा, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी बुआ स्व0 श्रीमती वोदी देवी पत्नी श्री चोबु की मृत्यु दिनांक 01-07-1998 को स्थान गांव शांगना, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती वोदी देवी पत्नी श्री चोबु की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 08/BNT 2019

दायर तिथि : 04-05-2018

तारीख पेशी : 28-02-2019

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री हेत राम, गांव छिन्जरा, डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री हेत राम, गांव छिन्जरा, डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र कर्ण का जन्म दिनांक 19-06-2004 को स्थान गांव छिन्जरा, डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कर्ण पुत्र श्री लुदर चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समाप्त न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Mintu

.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Mintu s/o Sh. Parmanand, Village Tippiar Aran, P.O. Kamand, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his daughter Miss Janvi born on 12-04-2009 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kohila.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of daughter of the applicant born on 12-04-2009 in the record of Gram Panchayat Kohila, he/she/they may file his/her/their objection on or before 28-02-2019 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 29th of January, 2019.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 03/19-01-2019

श्री जीवन लाल पुत्र श्री घीम्बर, निवासी मातला, डाकघर खुहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन—पत्र ।

श्री जीवन लाल पुत्र श्री घीम्बर, निवासी मातला, डाकघर खुहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खलवाहण में जीवन लाल दर्ज है जो उसका सही नाम है परन्तु पटवार वृत्त नरायणगढ़ के महाल खुहण तथा मंजाओं में गलती से घरेलू नाम चिमन लाल दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर जीवन लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 01/07-01-2019

श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव भरनाल, डाकघर ढलवान, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन—पत्र।

श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव भरनाल, डाकघर ढलवान, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत भरनाल तथा राजस्व रिकार्ड के महाल ढलवान में सुन्दर लाल पुत्र देवी सिंह दर्ज है जो उनका सही नाम है परन्तु पटवार वृत्त बालीचौकी के महाल माणी में गलती से घरेलू नाम लाला घर दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर सुन्दर लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 02/07-01-2019

श्री दुनी चन्द पुत्र देवी सिंह, निवासी गांव भरनाल, डाकघर ढलवान, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन—पत्र।

श्री दुनी चन्द पुत्र देवी सिंह, निवासी गांव भरनाल, डाकघर ढलवान, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत

भरनाल तथा राजस्व रिकार्ड के महाल ढलवान में दुनी चन्द पुत्र देवी सिंह दर्ज है जो उनका सही नाम है परन्तु पटवार वृत्त बालीचौकी के महाल माणी में गलती से घरेलू नाम हुक्म सिंह दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर दुनी चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री गौरी दत्त, निवासी गांव गौणी, डाकघर खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978।

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री गौरी दत्त, निवासी गांव गौणी, डाकघर खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पुत्र किरण कुमार का जन्म दिनांक 06-01-2009 को गांव गौणी, तहसील बालीचौकी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खोलानाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है। अब वह अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खोलानाल के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि आवेदिका के पुत्र का नाम व जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोलानाल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20-02-2019 तक इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

श्री खेम सिंह पुत्र श्री वृकम सिंह, निवासी बान्दल, डाकघर खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978।

श्री खेम सिंह पुत्र श्री वृकम सिंह, निवासी बान्दल, डाकघर खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 12-05-1993 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्हणी में दर्ज नहीं किया है। अब ग्राम पंचायत कल्हणी के रिकार्ड में नाम काटना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक की दादी का नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड से काटने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2019 तक इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

